

8-5-20

प्रमाण-पत्र - पी.सी.डी. अतिरिक्त प्रमाण-पत्र
कार्य से बाहर - 29.5.20 को पेश हो।
अतः पत्रावली दिनांक 29.5.20 को पेश हो।

उपखण्ड लॉकरवाली माण्डल

29.5.20

प्रमाण-पत्र - पी.सी.डी. अतिरिक्त प्रमाण-पत्र
कार्य से बाहर - 14.8.20 को पेश हो।
अतः पत्रावली दिनांक 14.8.20 को पेश हो।

उपखण्ड लॉकरवाली माण्डल

14-8-20

दिनांक 2
पत्रावली
को-बाहर
से

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अध्या
सं. 1, 3, 4, 5 के सामग्री बाद तामिल होकर प्राप्त
हुए जिसे शा.पठ किये गये। वकील प्रार्थी विपरी
सं. 2 के विक्रम कोश कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
अध्यायीगण को कितनी मतेबा थावाजे प्रत्याजी जाने
उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके विक्रम एकरफा
कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
वटसीलदार मांडल से गौड़ा रिपोर्ट प्राप्त हुई
जिसे शा.पठ की गई, वकील प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर विक्रम प्रथम से
लिखा जाकर शा.पठ किया गया। पत्रावली
केवल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड लॉकरवाली
मांडल जिला काजवाड़ा

म की
ने जारी

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

गिठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 187/19 प्रा.पञ्ज

श्री श्वेता शो. श्री घीसा भील जिवासी - अमरगढ़ तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री विजय वर्मा शो. श्री प्रेम प्रकाश वर्मा (गांभी) जिवासी - रक. - 17/329 लेबर कॉलोनी
भीलवाडा तहसील एवं जिला - भीलवाडा [कौरा] (सिद्धांतित 91-पञ्ज संकेत है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.08.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम **अमरगढ़** पटवार हल्का **अमरगढ़** तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. **1350** कुल किता **01** रकबा **02** बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते में की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **31.12.19** को पंजीबद्ध किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से ढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की री होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम **अमरगढ़** पटवार हल्का **अमरगढ़** तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की नं. **1350** कुल किता **01** रकबा **02** बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्तो जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ग आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **पी.थारा** **400/-** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये ए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा